

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2021—माघ 16, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय कुमार श्रीवास्तव आत्मज स्व. महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, उम्र 60 वर्ष, निवासी-वार्ड क्रमांक-45, हेमू नगर, रेल्वे ओव्हर ब्रिज के नीचे, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम विजय कुमार श्रीवास्तव दर्ज है, किन्तु मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम विजय बहादुर श्रीवास्तव दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे विजय कुमार श्रीवास्तव आत्मज स्व. महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

विजय बहादुर श्रीवास्तव
पिता-स्व. महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
निवासी-वार्ड क्रमांक-45,
हेमू नगर, रेल्वे ओव्हर
ब्रिज के नीचे, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

विजय कुमार श्रीवास्तव
पिता-स्व. महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
निवासी-वार्ड क्रमांक-45,
हेमू नगर, रेल्वे ओव्हर
ब्रिज के नीचे, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गरीमा आदिले आत्मजा श्री फिरतू आदिले, उम्र 25 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी-ग्राम-गिद्धा, थाना-नवागढ़, तहसील नवागढ़ जिला जांजगीर चोंपा (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम सावित्री आदिले था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम गरीमा आदिले रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे गरीमा आदिले आत्मजा श्री फिरतू आदिले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
सावित्री आदिले पिता-श्री फिरतू आदिले निवासी-ग्राम-गिद्धा, थाना-नवागढ़, तहसील-नवागढ़, जिला-जांजगीर चोंपा (छ. ग.)	गरीमा आदिले पिता-श्री फिरतू आदिले निवासी-ग्राम-गिद्धा, थाना-नवागढ़, तहसील-नवागढ़, जिला-जांजगीर चोंपा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तुमाटी महेश कुमार आत्मज श्री तुमाटी वेकंटेस्वरलु, उम्र 20 वर्ष, निवासी-सड़क नं.-08, ब्लॉक-2, क्वा. नं.-10 हास्पिटल सेक्टर-09, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम तुमाटी महेश कुमार आ. श्री तुमाटी वेकंटेस्वरलु है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जाति प्रमाण पत्र व राशन कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम महेश कुमार तुमाटी आ. श्री वेकंटेस्वरलु तुमाटी दर्ज है, जिसे कि परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे तुमाटी महेश कुमार (Thumati Mahesh Kumar) आत्मज श्री तुमाटी वेकंटेस्वरलु (Shri Thumati Venkateswarlu) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
महेश कुमार तुमाटी (Mahesh Kumar Tumati) पिता-श्री वेकंटेस्वरलु तुमाटी (S/o-Shri Venkateshwarlu Tumati) निवासी-सड़क नं.-08, ब्लॉक-2, क्वा. नं.-10 हास्पिटल सेक्टर-09, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तुमाटी महेश कुमार (Thumati Mahesh Kumar) पिता-श्री तुमाटी वेकंटेस्वरलु (S/o-Shri Thumati Venkateswarlu) निवासी-सड़क नं.-08, ब्लॉक-2, क्वा. नं.-10 हास्पिटल सेक्टर-09, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जनध्याला मोनिका ध. प. श्री जनध्याला श्रीनिवास, उम्र 47 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-19/बी, सड़क-31, सेक्टर-4, भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा लघु नाम श्रीमती जे. मोनिका (J. Monika) दर्ज है जबकि मेरा पूर्ण नाम जनध्याला मोनिका है। मैं अपने पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजों में अपने नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे जनध्याला मोनिका (Jandhyala Monika) ध. प. श्री जनध्याला श्रीनिवास (Shri Jandhyala Srinivas) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती जे. मोनिका (Smt. J. Monika) पति-श्री जनध्याला श्रीनिवास (W/o-Shri Jandhyala Srinivas) निवासी-क्वा. नं.-19/बी, सड़क-31, सेक्टर-4, भिलाईनगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	जनध्याला मोनिका (Jandhyala Monika) पति-श्री जनध्याला श्रीनिवास (W/o-Shri Jandhyala Srinivas) निवासी-क्वा. नं.-19/बी, सड़क-31, सेक्टर-4, भिलाईनगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, साजिदा खान ध. प. श्री साजिद खान, उम्र 63 वर्ष, निवासी- सदर पुलिस लाइन के हेलीपेड के पीछे, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम कमोलिनी मसीह था। मैं महिला आर. क्र. 150 पीटीएस माना रायपुर में कार्यरत थी तथा वर्तमान में मैं सेवा निवृत्त हो चुकी हूँ। मेरे समस्त पेंशन प्रकरण व छ. ग. राज्य पेंशन परिचय पत्र में मेरा पूर्व नाम कमोलिनी मसीह दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम साजिदा खान रख ली हूँ मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे साजिदा खान ध. प. श्री साजिद खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
कमोलिनी मसीह कमोलिनी मसीह पति-श्री साजिद खान निवासी-सदर पुलिस लाइन के हेलीपेड के पीछे, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	साजिदा खान पति-श्री साजिद खान निवासी-सदर पुलिस लाइन के हेलीपेड के पीछे, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुमन सिंह ध. प. श्री ऋषिकेश्वर राज सिंह, निवासी-ग्राम-बिरनपुर, तहसील नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.) वर्तमान निवासी- मकान नं.-एफ-1, सिंचाई कॉलोनी, श्यामपुर, छुईखदान, थाना व तहसील-छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. सुमन ध्रुव आत्मजा श्री राधेश्याम ध्रुव था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज है मेरा विवाह दिनांक 29-04-2018 को श्री ऋषिकेश्वर राज सिंह के साथ संपन्न हुआ। पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सुमन सिंह रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती सुमन सिंह ध. प. श्री ऋषिकेश्वर राज सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

कु. सुमन ध्रुव
पिता- श्री राधेश्याम ध्रुव
निवासी-मकान नं.-एफ-1,
सिंचाई कॉलोनी, श्यामपुर, छुईखदान,
थाना व तहसील-छुईखदान,
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती सुमन सिंह
पति- श्री ऋषिकेश्वर राज सिंह
निवासी-ग्राम-बिरनपुर, तहसील-नरहरपुर,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.)
वर्तमान निवासी- मकान नं.-एफ-1,
सिंचाई कॉलोनी, श्यामपुर, छुईखदान,
थाना व तहसील-छुईखदान,
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती होमिन बाई साहू ध. प. श्री मनोज साहू, उम्र 30 वर्ष, जाति तेली, निवासी-अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम होमिन बाई साहू है, जो कि मेरी पुत्री निशा के जन्म प्रमाण पत्र, कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु उसके कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा घरेलू नाम उर्मिला बाई साहू तथा उर्मिला साहू दर्ज है जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती होमिन बाई साहू ध. प. श्री मनोज साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

उर्मिला बाई साहू
उर्मिला साहू
पति- श्री मनोज साहू
निवासी-अमलेश्वर,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती होमिन बाई साहू
पति- श्री मनोज साहू
निवासी-अमलेश्वर,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमेश कुमार गंगवंशी आत्मज श्री पुसूराम गंगवंशी, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-8-सी, सड़क नं.-30, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा पूर्ण नाम रमेश कुमार गंगवंशी आ. श्री पुसूराम गंगवंशी है जो कि मेरे पेनकार्ड आधार कार्ड व शासकीय अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड व कुछ शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम रमेश कुमार आ. श्री पुसूराम दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर, पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे रमेश कुमार गंगवंशी आत्मज श्री पुसूराम गंगवंशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

रमेश कुमार
पिता- श्री पुसूराम
निवासी-क्वा. नं.-8-सी,
सड़क नं.-30, सेक्टर-7, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

रमेश कुमार गंगवंशी
पिता- श्री पुसूराम गंगवंशी
निवासी-क्वा. नं.-8-सी,
सड़क नं.-30, सेक्टर-7, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बलबीर आजाद आत्मज श्री कार्तिक राम, उम्र 24 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी-तालदेवरी, तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा पूर्ण वास्तविक नाम बलबीर आजाद आ. कार्तिक राम है जो कि मेरे जाति प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आदि में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा 5वीं से 12वीं तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम बलबीर दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपने पूर्ण नाम को, मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे बलबीर आजाद आत्मज श्री कार्तिक राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

बलबीर
पिता- श्री कार्तिक राम
निवासी-तालदेवरी, तहसील-चांपा,
जिला-जांजगीर चांपा (छ. ग.)

नया नाम

बलबीर आजाद
पिता- श्री कार्तिक राम
निवासी-तालदेवरी, तहसील-चांपा,
जिला-जांजगीर चांपा (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2021

प्रकरण क्रमांक 202101111000332/ब-113 (1) वर्ष 2020-21

क्रमांक/42/अ. वि. अ./पं. सा. न्या./2021.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रेव्हा. फादर गोशाला राजू, निवासी कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्र.-7 दलदलसिवनी, रायपुर द्वारा “रायपुर डायसिस ऑफ बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च” पता- म. नं.-2319/7, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्र.-7, शिवाजी नगर, झंडा चौक, दलदलसिवनी, रायपुर (छ. ग.) का छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं:-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | | |
|----|----------------------|----|--|
| 1. | पब्लिक ट्रस्ट का नाम | :- | “रायपुर डायसिस ऑफ बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च”
पता- म. नं.-2319/7, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्र.-7,
शिवाजी नगर, झंडा चौक, दलदलसिवनी, रायपुर (छ. ग.) |
| 2. | चल संपत्ति | :- | राशि रुपये-10,000/- (अक्षरी-दस हजार रुपये मात्र) |
| 3. | अचल संपत्ति | :- | निरंक |

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 12-02-2021 को उपस्थित होंगे. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईशतहार आज दिनांक 27-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

प्रणव सिंह
पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय-उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, धमतरी
संयुक्त कार्यालय भवन, कक्ष क्रमांक-25, कलेक्टोरेट के पास

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/692 A .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2016/633 धमतरी दिनांक 18-01-2016 के द्वारा जिला हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-17 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री राकेश कुमार चाण्डक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए जिला हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-17 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-10-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/692 D .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2015/83 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा खनिज कर्मचारी सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-101 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री रोहित कुमार सोनकर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए खनिज कर्मचारी सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-101 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-10-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 28 नवम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/804 A .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/378 धमतरी दिनांक 28-07-2020

के द्वारा मिनीमाता महिला मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, अंबरी, पंजीयन क्रमांक-187 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री जितेन्द्र नंदा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कुरुद को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए मिनीमाता महिला मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, अंबरी, पंजीयन क्रमांक-187 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 28-11-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

धमतरी, दिनांक 28 नवम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/804 B .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2016/638 धमतरी दिनांक 18-01-2016 के द्वारा सुख समृद्धि बहु उद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-135 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री राकेश कुमार चाण्डक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए सुख समृद्धि बहु उद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-135 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 28-11-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

पीताम्बर ठाकुर
उप पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.

कलेक्ट्रेट के सामने पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2020

क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जीवित/2020/2194.—वस्तुतः अधिवक्ता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 243 दिनांक 19-04-2007 विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर को पुनर्जीवित किये जाने हेतु संस्था द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त संबंध में संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था के सदस्य समिति को पुनर्जीवित कराने के कारण पुनर्जीवित करने हेतु सहमति दिया गया है। अतः संस्था एवं सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए परिसमापक द्वारा दी गई सहमति से मैं सहमत हूँ।

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग

करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत अधिवक्ता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 243 दिनांक 19-04-2007 विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर को इस शर्त पर “कि संस्था पुर्नजीवित होने के पश्चात् 03 माह के भीतर संस्था के निर्वाचन हेतु राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पात्र सदस्य बनायेंगे, साथ ही 03 माह के भीतर मतदाता सूची तैयार कर छ.ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर को निर्वाचन हेतु विधिवत निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजेगी” पुनर्जीवित करती हूं, एवं संस्था के कार्य संचालन हेतु श्री के. एस. ठाकुर अंकेक्षण अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करती हूं.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2020

क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जीवित/2020/2224. — कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि-पुर्न./2020/2194 बिलासपुर दिनांक 8-12-2020 के द्वारा अधिवक्ता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 243 दिनांक 19-04-2007 विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर को पुनर्जीवित किया जाकर संस्था के कार्य संचालन हेतु श्री के. एस. ठाकुर अंकेक्षण अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था, किन्तु श्री के. एस. ठाकुर अंकेक्षण अधिकारी के द्वारा कार्य के अधिकता होने से असमर्थता बताये जाने के कारण श्री ठाकुर अंकेक्षण अधिकारी के स्थान पर संस्था के कार्य संचालक हेतु समिति के तत्कालीन सदस्य श्री के. के. सिंह मो.न. 9787923810, 9039684452 की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय कमेटी गठित करती हूं, जिसमें श्री मनोज मिश्रा मो. नं.-9826687377 एवं श्री जी. पी. कुर्रे मो. नं. 9827113748 उक्त कमेटी के सदस्य होंगे.

साथ ही संस्था के न्यू गठित कमेटी को “संस्था के निर्वाचन हेतु राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 03 माह के भीतर मतदाता सूची तैयार कर इस कार्यालय के माध्यम से छ.ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर को प्रेषित करने तथा नियमित अंकेक्षण कराने हेतु आदेशित करती हूं.

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2020

क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जीवित/2020/2256. — वस्तुतः भोरमदेव मछुवा सहकारी समिति मर्या. रतनपुर पंजीयन क्रमांक 325 दिनांक 01-05-2014 विकासखंड कोटा जिला बिलासपुर को पुनर्जीवित किये जाने हेतु परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा के द्वारा पुनर्जीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. संस्था के वर्ष 19-2020 का अंकेक्षण टीप विभागीय अंकेक्षक से कराकर कार्यालय में जमा करने लेख करते हुए समिति को पुनर्जीवित किये जाने का अनुशंसा किया गया है. अतः संस्था एवं सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए, सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा एवं परिसमापक, के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अतः छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत भोरमदेव मछुवा सहकारी समिति मर्या. रतनपुर पंजीयन क्रमांक 325 दिनांक 01-05-2014 विकासखंड कोटा जिला बिलासपुर इस शर्त पर “संस्था के निर्वाचन हेतु राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 03 माह के भीतर मतदाता सूची तैयार कर इस कार्यालय के माध्यम से छ.ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर को प्रेषित करने तथा नियमित अंकेक्षण कराने” पुनर्जीवित करती हूं एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालक हेतु श्री केजूराम धीवर की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय कमेटी गठित करती हूं जिसमें श्री भूपेन्द्र कश्यप एवं श्री अर्जुन लाल धीवर सदस्य रहेंगे, को अधिकृत करती हूं.

मंजू महेन्द्र पाण्डेय,
उप पंजीयक.